कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
आवश्यक सूचना

हरियाणा के किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान दूसरे चरण में फसल अवशेषों के प्रबंधन हेतु निम्न प्रकार के कृषियंत्रों पर अनुदान उपलब्ध है:

क्र.सं.	फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषियंत्र का नाम	अनुदान की राशि	
		SC/ST/SF/MF/W @ 50% (Rs.)	Others @ 40% (Rs.)
1	हैप्पी सीडर	63000/-	50000/-
2	रोटरी प्लो	25000/-	20000/-
3	रीपर बाइंडर	125000/-	100000/-
4	स्ट्रा बेलर	63000/-	50000/-
5	मल्चर	63000/-	50000/-
6	रिवर्सिबल प्लो	44000/-	35000/-
7	हे रेक	63000/-	50000/-
8	स्ट्रा चोपर	63000/-	50000/-
9	स्ट्रा श्रेडर	63000/-	50000/-
10	स्ट्रा स्लेशर	19000/-	15000/-
11	स्ट्रा रीपर	63000/-	50000/-

अतः इच्छुक किसान भाई विभागीय वेबसाईट www.agriharyana.gov.in पर दर्शाये हुए दिशानिर्देश व प्रोफॉर्मा के अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए समय सीमा 06.10.2017 (प्रातः 10.00 बजे) से 25.10.2017 (सायं 05.00 बजे तक) निर्धारित है। आवेदन पत्र के साथ–साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है :–

1. वैद्य ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र,
2. लघु एवं सीमान्त किसान कृषि विवरण बारे पटवारी रिपोर्ट,
3. आधार कार्ड,
4. बैंक विवरण, बैंक का नाम, शाखा, खाता नंबर, आई.एफ.एस.सी. कोड,
5. मोबाईल नं,
6. जाति प्रमाण पत्र,
7. पैन नंबर,
8. वचन पत्र (अंडरटेकिंग) कि आपने पिछले 5 वर्षों में कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है, एवं
9. कृषि यंत्र के बिल व यंत्र के साथ किसान का फोटो ।

नोटः

- किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कृप्या अपने जिले के उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियंता से संपर्क कर सकते हैं।
- जिन किसान भाईयों ने किसान मेला के दौरान आवेदन पत्र दिया है उनको ऑनलाईन आवेदन पत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक,
कृषि एवं किसान कल्याण
विभाग, हरियाणा